न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 555/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/532 आरटीए

जगतारसिह पुत्र प्रीतमसिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनु.

वादी

बनाम

1. प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनु
2. सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रीतम सिह पत्नी मखन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरप्रीत कौर पुत्री प्रीतम सिह पत्नी हरदीप सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
2– श्री चरणजीत सिह– वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। चक 1 आई.टी.जी. खाता स. 105/62 खाता प्रीतम सिह ज.स. 2073–76 में वादी व प्रति स. 2 व 3 के पिता प्रति स. 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 2 व 3 के पिता प्रति स. 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी हमारी जददी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति स. 2 व 3 का जन्म से ही विरास्तन हक बनता है। लेकिन प्रति स. 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी व प्रति स. 1 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। घरू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में 3.036 है0 आराजी आई है। जो मौका पर वादी के कब्जाकाश्त में है। अतः वादी उक्त 3.036 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। इसी [illegible] घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करना चाहता है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी [illegible] वादी ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए घरू [illegible] रखा है। उक्त घरू विभाजन अनुसार वादी के हक हिस्सा व कब्जा में निम्नानुसार आराजी आई है तथा इसी मुताबिक वादी अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai
Date: 2024.12.05 16:2
Reason: SelfAttested

ए– वादी जगतार सिह पुत्र प्रीतम सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152/121	16	25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.खाला
152/122	19	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.खाला
153/121	17	20/2/0.127, 21/0.253
153/122	18	1/0.253, 2/0.253, 6/4/0.025, 7/2/0.025, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 12/0.253, 13/0.253, 14/2/0.076 कुल 3.036 है.आराजी

बी– प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152/121	16	24/0.253
152/122	19	4/0.253, 7/0.253 कुल 0.759 है.

वादी दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप मुझे दावा की दफा 3 मे दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन बाद मे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।

अतः चक 1 आई.डी.जी. खाता स. 105/62 खाता प्रीतम सिह ज.स. 2073–76 की कुल 3.795 है0 आराजी मे से 3.036 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है व उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 3.036 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे एवं उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है तथावादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। जवाबदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी जगतार सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 1 आईडीजी जमाबन्दी (खेवट खतौनी) खाता संख्या 7/47 खाता गजन सिह वगैरा की प्रमाणित प्रति एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai K
Date: 2024.12.05 16:20
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा अनवान सुलतान सिह वगैरा बनाम बलवीर सिह वगैरा में पारित डिक्री दिनांक 23.08.2024 की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 1 आईडीजी खाता संख्या 150/62 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतमसिह पुत्र गजन सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है एवं वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है इसलिए वादपत्र को स्वीकार किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रति.संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 1 आई.डी.जी. खाता स. 150/62 ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह के नाम दर्ज है। प्रति. संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जा चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर यह पाया गया कि पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में वादी को नियमानुसार 500/–रूपये के स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर नियमानुसार नकल जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी सं. 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह के नाम चक [illegible] जी. खाता संख्या 150/62 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 3.795 [illegible] आराजी [illegible] को 3.036 हैक्टयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर [illegible] वादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी एवं [illegible] वादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ए– वादी जगतार सिह पुत्र प्रीतम सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152 / 121	16	25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला
152 / 122	19	5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025 गै.मु. खाला 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला
153 / 121	17	20 / 2 / 0.127, 21 / 0.253
153 / 122	18	1 / 0.253, 2 / 0.253, 6 / 4 / 0.025, 7 / 2 / 0.025, 8 / 0.253, 9 / 0.253, 10 / 0.253, 12 / 0.253, 13 / 0.253, 14 / 2 / 0.076 कुल 3.036 है.आराजी

बी– प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152 / 121	16	24 / 0.253
152 / 122	19	4 / 0.253, 7 / 0.253 कुल 0.759 है.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 555 / 2024

जगतारसिह पुत्र प्रीतमसिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनु.

वादी

बनाम

1. प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनु
2. सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रीतम सिह पत्नी मखन सिह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरप्रीत कौर पुत्री प्रीतम सिह पत्नी हरदीप सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह के नाम चक 1 आई.डी.जी. खाता संख्या 150 / 62 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 3.795 दर्ज आराजी मे से वादी को 3.036 हैक्टयर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

ए– वादी जगतार सिह पुत्र प्रीतम सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152 / 121	16	25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला
152 / 122	19	5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025 गै.मु. खाला 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला
153 / 121	17	20 / 2 / 0.127, 21 / 0.253
153 / 122	18	1 / 0.253, 2 / 0.253, 6 / 4 / 0.025, 7 / 2 / 0.025, 8 / 0.253, 9 / 0.253, 10 / 0.253, 12 / 0.253, 13 / 0.253, 14 / 2 / 0.076 कुल 3.036 है.आराजी

बी– प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिह पुत्र गजन सिह की कब्जा काश्त भूमि :–

चक 1 आई.डी.जी.		
पत्थर नम्बर	मु.नं.	किला नम्बर
152 / 121	16	24 / 0.253
152 / 122	19	4 / 0.253, 7 / 0.253 कुल 0.759 है

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन ... के पश्चात ... दरामद किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बावत...X...निल...500/...खर्चा मु... के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...28.11.2024...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested